प्रार्थी श्री रामलाल विपक्षी श्री बसात

किस्म मुकदमा राजस्व वाद पत्रावली संख्या 26 सन् 2017

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
	[illegible] 26 [illegible] [illegible] CA7 [illegible] 9/6/2016 [illegible]	रामलाल
9/6/2016	पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित। दोनों पक्ष उक्त मामले में लोक अदालत की भावना से प्रकरण में राजीनामा करने हेतु मौका चाहते हैं। मौका दिया जाता है। पत्रावली आगामी दिनांक 27/6/2016 को पेश होवे।	
27/6/2016	पत्रावली "न्याय आपके द्वार अभियान 2016" के तहत लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत - [illegible] पर प्रस्तुत हुई। वादीगण [illegible] रामलाल व [illegible] ने उपस्थित होकर इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र व राजीनामा इस मय समझौता पत्र दिनांक 23/6/2016 का प्रस्तुत किया है कि उक्त उनवान प्रकरण में उभय पक्षकारों के मध्य यह सुलह एवं राजीनामा हो गया है कि इस प्रकरण में ग्राम- महुवाडा की वाद ग्रस्त भूमि कुल कीता 2 रकबा	रामलाल नि. [illegible]

1.50 हेक्टे. में से एकाकी ... भूमि
जिस पर कब्जा वादीगण का है, को प्रतिवादीगण
द्वारा वादीगण को, बिना कोई कीमत, रुपया
लिये, देने की सहमति हुई है। रजिस्ट्री का
समस्त खर्चा वादीगण श्री रामलाल व
श्री बाबा वहन करेंगे। वादग्रस्त शेष
0.79 हेक्टे. भूमि पर प्रतिवादीगण
का स्वामित्व राजस्व रिकार्ड में यथावत्
रहेगा, अर्थात यह 0.79 हेक्टे. भूमि
प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड
मे यथावत् दर्ज रहेगी। उक्त समझौता
पत्र दिनांक 23/6/2016 की फोटोप्रति
इस राजीनामे प्रपत्र के साथ संलग्न
की गई है। यह कि उक्त समझौते
के पश्चात् अब उभय पक्षकारों के
मध्य कोई विवाद शेष नहीं रहा है
तथा वादीगण अब प्रतिवादीगण के विरुद्ध
कोई अदालती कार्यवाही नहीं चाहते है,
अत: उक्त इनवान प्रकरण को इसी
स्टेज पर समाप्त कर दिया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध
दस्तावेजों तथा उभय पक्षकारों द्वारा
संयुक्त रूप से अपने हस्ताक्षरों/अंगूठा
निशानी से निष्पादित प्रार्थना-पत्र, राजीनामा
प्रपत्र एवं दिनांक 23/6/2016 के समझौता
पत्र की फोटोप्रति का अवलोकन किया
तथा उपस्थित वादीगण को सुना।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव

प्रार्थी श्री रामलाल वगैरह विपक्षी श्री बसंती वगै.

किस्म मुकदमा रा.वा. पत्रावली संख्या 26 सन् 2014

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
	चूंकि उभय पक्षकारान् द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपने विवाद को सुलझा लिया है तथा अब उनके मध्य कोई विवाद शेष नहीं रहने से इस प्रकरण को इसी स्टेज पर समाप्त कराना चाहते है। अतः उभय पक्षकारों की सहमति के आधार पर उनके द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर निष्पादित राजीनामा प्रपत्र को रिकार्ड पर लिया जाता है तथा न्यायहित में उक्त राजीनामा प्रपत्र को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।	
	पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	27/06/16	
	सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव जिला - उदयपुर (राज.)	